फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उप जिला कलक्टर मुकाम रायसिंहनगर

कृष्णा कुमार बनाम राजस्थान सरकार 167

रस्म मुकदमा दुरुस्ती मुकदमा नं. 19/6/18

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक / 18 / दिनांक 19/6/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार–2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालेवाला में प्रार्थीगण के नाम चक 35 NP की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता नं. 12 में खातेदार कृष्णा कुमार पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई (कड़वासरा) खातेदार अंकित है। जिसका नाम कृष्णलाल है। जिसकी कृष्णा कुमार पुत्र सोहनलाल के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र सोहनलाल की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 19/6/18 की पुष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 35 NP के खाता नं. 12 में दर्ज खातेदार कृष्णा कुमार पुत्र सोहनलाल के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र सोहनलाल दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आश्य का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया। उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट ... उपखण्ड अधिकारी (प्रथम) रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner